

30 $\frac{12}{19}$

पक्षकारान के अधिवक्तागण इपाद्धित ।
मूल पत्रावली निमित्त होने से यह
पत्रावली चलने योग्य नहीं है, लिखा जा
यह प्रार्थना पत्र खातेज किया जाता
है पत्रावली फुसल शुमाट होकर नबल
से कम हो व दाखिल पत्रा हो ।

A.
जिला कलक्टर
बाइमेर

